न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी– अजय कुमार भोजक, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)(अतिरिक्त कार्यभार)

निर्णय दिनांकः 24.02.2026

सेशन प्रकरण संख्याः–BT No. 56/16 (CIS No. 58/16)

CNR NO. RJSG060002132016

राजस्थान राज्य बनाम राकेश कुमार वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-103/16 अपराध अन्तर्गत धारा –498ए, 302, 397, 449, 120बी भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना -घमूड़वाली

भाग–प्रथम

A

परिवादी का नाम व पता	मोहनलाल पुत्र दुल्लाराम, निवासी-ठाकर बस्ती गली नम्बर-**01** अबोहर थाना सिटी नम्बर-**02** अबोहर जिला-फाजिल्का , पंजाब
प्रस्तुतकर्ता	**राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक**
अभियुक्तगण का नाम व पता	1–**राकेश कुमार पुत्र** ओमप्रकाश **निवासी –33** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली 2– महावीर प्रसाद पुत्र अर्जुनराम **निवासी –36** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली
विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक	श्री नितिन वॉटस
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री किशोर स्वामी, श्री श्रीराम वर्मा, श्री रामचंद्र धारणियां
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	श्री रजीराम वर्मा, श्री चरणदास व श्री सुभाष वर्मा

B

अपराध की दिनांक	दिनांक–01.07.16 व 02.07.16 की मध्यरात्रि
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.07.2016
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	20.08.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	22.11.2016
साक्ष्य आरंभ की दिनांक	22.12.2016
बहस अंतिम की दिनांक	17.11.2025
निर्णय दिनांक	01.04.2026
दण्डादेश की दिनांक	01.04.2026

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	राकेश कुमार	04.07.16	––	302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता	**दोषसिद्ध**	**धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी दो वर्ष का अतिरिक्त**	दिनांक–04.07.16 से लगातार

						साधारण कारावास धारा–397 भारतीय दण्ड संहिता में सात वर्ष का साधारण कारावास धारा–449 भारतीय दण्ड संहिता में दस वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रूपये का अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास	
2	महावीर प्रसाद	05.07.16	––	498 ए, 302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता	**धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त व धारा–302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध**	**धारा–302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थदण्ड, अदम अदायगी दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास**	दिनांक–05.07.16 से लगातार

भाग–द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षीगण की सूची

अ–अभियोजन साक्षीगण

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	पी.डब्ल्यू 1	मोहनलाल	मृतका का पिता
2.	पी.डब्ल्यू 2	रामकुमार	मृतका की माता का रिश्तेदार
3.	पी.डब्ल्यू 3	कुमारी ईशिता	मृतका की पुत्री
4.	पी.डब्ल्यू 4	धर्मवीर	अन्य साक्षी
5.	पी.डब्ल्यू 5	सुरेन्द्र	मृतका का भाई
6.	पी.डब्ल्यू 6	गुलशन मेघानी	अन्य साक्षी
7.	पी.डब्ल्यू 7	बाबूलाल पुत्र बलराम	फोटोग्राफर
8.	पी.डब्ल्यू 8	बाबूलाल पुत्र श्यामलाल	अन्य साक्षी
9.	पी.डब्ल्यू 9	सुरेश कुमार मेहता	अन्य साक्षी
10.	पी.डब्ल्यू 10	आत्माराम	मृतका की माता का रिश्तेदार
11.	पी.डब्ल्यू 11	रामकिशन आर्य	मृतका का मामा
12.	पी.डब्ल्यू 12	दीपक कुमार	मृतका का भाई
13.	पी.डब्ल्यू 13	संदीप कुमार	चिकित्सीय साक्षी
14.	पी.डब्ल्यू 14	डॉ0 अमित चौधरी	चिकित्सीय साक्षी बाबत पोस्टमार्टम
15.	पी.डब्ल्यू 15	पूजा	अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी
16.	पी.डब्ल्यू 16	कुलदीप कुमार	पुलिसकर्मी
17.	पी.डब्ल्यू 17	सीताराम	पुलिसकर्मी (कैरियर)
18.	पी.डब्ल्यू 18	हनुमान प्रसाद	पुलिस कर्मी
19.	पी.डब्ल्यू 19	राजेश कुमार	पुलिसकर्मी/हैड कांस्टेबल

20.	पी.डब्ल्यू 20	दर्शनसिंह	पुलिसकर्मी/हैड कांस्टेबल
21.	पी.डब्ल्यू 21	तोलाराम	पुलिसकर्मी
22.	पी.डब्ल्यू 22	मनीराम	पुलिसकर्मी (मालखाना प्रभारी)
23.	पी.डब्ल्यू 23	घूकरसिंह	पुलिसकर्मी (अनुसंधानकर्ता)
24.	पी.डब्ल्यू 24	सुनील के. पंवार	पुलिसकर्मी (अनुसंधानकर्ता)
25.	पी.डब्ल्यू 25	सलीम पठान	पुलिसकर्मी (कैरियर)

ब–बचाव साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	––	––	––

स–न्यायालय साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 1	प्रार्थी मोहनलाल द्वारा प्रकरण दर्ज करवाने बाबत पुलिस थाना घमूड़वाली में दिया गया प्रार्थनापत्र
02	प्रदर्श पी 2	फर्द सूरत हाल लाश मृतका श्रीमति समिधा
03	प्रदर्श पी 3	फर्द पंचायतना मृतका श्रीमति समिधा
04	प्रदर्श पी 4 व 4ए	नक्शामौका घटनास्थल व हालात नक्शामौका घटनास्थल
05	प्रदर्श पी 5	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका श्रीमति समिधा
06	प्रदर्श पी 6	न्यायालय–उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर के प्रकरण सरकार बनाम महावीर प्रसाद वगैरह प्रकरण संख्या–417/13 की फर्द अहकाम दिनांकित–04.12.13
07	प्रदर्श पी 7	थानाधिकारी, पुलिस थाना घमूड़वाली द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार बींझबायला में महावीर प्रसाद व कृष्णलाल के विरूद्ध पेश इस्तगासा
08	प्रदर्श पी 8	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी गैरसायल महावीर
09	प्रदर्श पी 9	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–50/13 पुलिस थाना घमूड़वाली
10	प्रदर्श पी 10	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–229/13 पुलिस थाना घमूड़वाली
11	प्रदर्श पी 11	फर्द जब्ती खून आलूदा फर्श के ईंट का टुकड़ा व पास से सादा फर्श का ईंट का टुकड़ा
12	प्रदर्श पी 12	फर्द जब्ती खून आलूदा दो बैडशीट, एक चुन्नी
13	प्रदर्श पी 13	फर्द जब्ती गोल्ड फुट प्रिंट दांया, बांया पैर सहित व नंगा पांव
14	प्रदर्श पी 14	फर्द जब्ती एक सोने की चैन व दो कानों के टॉप्स
15	प्रदर्श पी 15 से 17	फोटोग्राफ्स घटनास्थल

16	प्रदर्श पी 15	प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
17	प्रदर्श पी 16 ए	ऋण आवेदनपत्र
18	प्रदर्श पी 17 ए	मणप्पुरम फाईनेंस लिमिटेड का सर्विस टैक्स रजिस्टर
19	प्रदर्श पी 18 व 19	फोटोग्राफ्स
20	प्रदर्श पी 18 ए	मणप्पुरम फाईनेंस लिमिटेड का ग्राहकों के सूचनार्थ तीन माह योजना का विवरण
21	प्रदर्श पी 19 ए	मणप्पुरम फाईनेंस लिमिटेड का Schemewise eligible loan indicator sheet
22	प्रदर्श पी 20 से 22	फोटोग्राफ्स मृतका
23	प्रदर्श पी 20	स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर बींझबायला द्वारा पुलिस उपअधीक्षक वृत्त श्री करणपुर को अभियुक्त राकेश कुमार व उसकी पत्नी पूजा के बैंक खाता के सबंध में सूचना दिये जाने बाबत दी गई तहरीर
24	प्रदर्श पी 21	स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर बींझबायला द्वारा पुलिस उपअधीक्षक वृत्त श्री करणपुर को प्रकरण संख्या 103 दिनांकित–02.07.16 पुलिस थाना घमूड़वाली में रिकार्ड उपलब्ध करवाने बाबत दी गई तहरीर
25	प्रदर्श पी 22	अभियुक्त महावीर प्रसाद का एस.बी.बी.जे. बैंक बींझबायला के बैंक खाता की स्टेटमेंट
26	प्रदर्श पी 23 से 25	फोटोग्राफ्स मृतका
27	प्रदर्श पी 25	मूल रजिस्टर वर्ष 2015–2014 का मुख्य पृष्ठ
28	प्रदर्श पी 23	अभियुक्त महावीर प्रसाद का एस.बी.बी.जे. बैंक बींझबायला के बैंक खाता की स्टेटमेंट
29	प्रदर्श पी 24	प्रमाणपत्र अंतर्गत धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
30	प्रदर्श पी 26 से 28	फोटोग्राफ्स मृतका
31	प्रदर्श पी 26 ए	समिधा के ईलाज से सम्बंधी दस्तावेज दिनांक–18.05.2014
32	प्रदर्श पी 27 ए	Registration Certificate of Board of Ayurvedic & Unan Systems of Medicine Punjab Chandigarh
33	प्रदर्श पी 28 ए	अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा का स्टेट बैंक आफॅ बीकानेर एण्ड जयपुर, बींझबायला का बचत खाता खोलने का फार्म
34	प्रदर्श पी 29 से 31	फोटोग्राफ्स मृतका
35	प्रदर्श पी 29 ए	अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा का एसबीबीजे ईकेवाईसी सर्टिफिकेट
36	प्रदर्श पी 30 ए	अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा का आधारकार्ड
37	प्रदर्श पी 31	पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका समिधा
38	प्रदर्श पी 32 से 34	फोटोग्राफ्स मृतका
39	प्रदर्श पी 32	पुलिस बयान पूजा
40	प्रदर्श पी 33	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त राकेश कुमार
41	प्रदर्श पी 34 ए	मालखाना रजिस्टर

42	प्रदर्श पी 35	प्राप्ति रसीद
43	प्रदर्श पी 36	जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा जारी अग्रेषणपत्र
44	प्रदर्श पी 37	फर्द बरामदगी अलाये जरब एक कुल्हाड़ी अजाने मुलजिम राकेश कुमार
45	प्रदर्श पी 38 व 38 ए	नक्शामौका व हालात मौका बरामदगीस्थल कुल्हाड़ी
46	प्रदर्श पी 39	फर्द तस्दीक घटनास्थल
47	प्रदर्श पी 40	फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुलजिम महावीर प्रसाद
48	प्रदर्श पी 41	फर्द तस्दीक घटनास्थल
49	प्रदर्श पी 42 व 42 ए	नक्शामौका व हालात मौका तस्दीक घटनास्थल
50	प्रदर्श पी 43	फर्द जब्ती पारचात एक जिंस पेंट, एक शर्ट, एक हवाई चप्पल की जोड़ी अजाने मुलजिम राकेश कुमार
51	प्रदर्श पी 44 व 44 ए	नक्शामौका व हालात मौका बरामदगीस्थल पारचात, चप्पल जोड़ी
52	प्रदर्श पी 45	फर्द जब्ती मोल्ड फुट प्रिंट दांया व बांया पैर नंगा पांव अजाने मुलजिम राकेश कुमार
53	प्रदर्श पी 46	फर्द तस्दीक घटनास्थल
54	प्रदर्श पी 47	फर्द बरामदगी 70 हजार रूपये अजाने मुलजिम महावीर प्रसाद
55	प्रदर्श पी 48 व 48 ए	नक्शामौका व हालात मौका बराममदगीस्थल 70 हजार रूपये
56	प्रदर्श पी 49 व 50	थानाधिकारी, पुलिस थाना घमूड़वाली द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को प्रकरण संख्या–103 दिनांकित–02.07.16 पुलिस थाना घमूड़वाली में एफएसएल के नाम अग्रेषणपत्र जारी करवाने बाबत दी गई तहरीर
57	प्रदर्श पी 51	सकूनत प्रमाणपत्र
58	प्रदर्श पी 52 व 53	एफएसएल रिपोर्ट
59	प्रदर्श पी 54	थानाधिकारी, पुलिस थाना घमूड़वाली द्वारा प्रकरण हाजा की एफडीआर के सम्बंध में न्यायालय हाजा में सूचना भिजवाने बाबत दिया गया पत्र
60	प्रदर्श पी 55	थानाधिकारी, पुलिस थाना घमूड़वाली द्वारा प्रबंधक, एसबीबीजे बैंक कलैक्ट्रेट शाखा श्रीगंगानगर को प्रकरण हाजा में एफडीआर बनाने सम्बंधी दिया गया पत्र
61	प्रदर्श पी 56	थानाधिकारी, पुलिस थाना घूड़वाली द्वारा थाना का वर्ष 2016 का रोजनामचा तलफ होने सम्बंधी दिया गया प्रमाणपत्र
62	प्रदर्श पी 57 व 58	चिट दस्तख्ती खून आलूदा ईंट का टुकड़ा घटनास्थल
63	प्रदर्श पी 59 व 60	एफएसएल बीकानेर द्वारा जारी टोकन
64	प्रदर्श पी 61 व 62	चिट दस्तख्ती सादा ईंट का टुकड़ा घटनास्थल
65	प्रदर्श पी 63 व 64	एफएसएल बीकानेर द्वारा जारी टोकन
66	प्रदर्श पी 65 व 66	चिट दस्तख्ती वजह सबूत एक चैन सोना 6.60 ग्राम व दो टोप्स

		वजन 3.30 ग्राम
67	प्रदर्श पी 67	फर्द इत्तला एक सोने कीचैन व एक जोड़ी टॉप्स अजाने मुलजिम राकेश कुमार
68	प्रदर्श पी 68	फर्द इत्तला धारा–27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम राकेश कुमार
69	प्रदर्श पी 69	फर्द इत्तला घटनास्थल
70	प्रदर्श पी 70	फर्द इत्तला तस्दीक घटनास्थल
71	प्रदर्श पी 71	फर्द इत्तला पारचात खून आलूदा पेंट, शर्ट व चप्पल अजाने मुलजिम राकेश कुमार
72	प्रदर्श पी 72	फर्द इत्तला घटनास्थल
73	प्रदर्श पी 73	फर्द इत्तला 70 हजार रूपये अजाने मुलजिम महावीर प्रसाद
74	प्रदर्श पी 74	आरोपी महावीर प्रसाद के घर से राकेश कुमार द्वारा महावीर प्रसाद के घर चिनाई का काम करने के हिसाब किताब की पर्चियां
75	प्रदर्श पी 75	निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्राप्ति रसीद
76	प्रदर्श पी 76	फिंगर प्रिंट ब्यूरो द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को फुट मोल्ड वापिस लौटाने बाबत दी गई तहरीर
77	प्रदर्श पी 77	एसबीबीजे शाखा कलैक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा जारी सावधि जमा सूचना
78	प्रदर्श पी 78	फर्द निरीक्षण व पंचनामा वजह सबूत मालखाना आईटम संख्या 251(ix)/2016
79	प्रदर्श पी 79	चिट दस्तख्ती वजह सबूत एक कुल्हाड़ी
80	प्रदर्श पी 80	एफएसएल बीकानेर द्वारा जारी टोकन
81	प्रदर्श पी 81	चिट दस्तख्ती
82	प्रदर्श पी 82	चिट दस्तख्ती वजह सबूत दो फुट मोल्ड दांयापैर व बांया पैर नंगा अजान मुलजिम राकेश कुमार
83	प्रदर्श पी 83	जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा जारी अग्रेषणपत्र
84	प्रदर्श पी 84 व 85	जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर द्वारा परीक्षण रिपोर्ट मय वजह सबूत को थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली को भेजने बाबत दी गई तहरीर
85	प्रदर्श पी 86	रोजनामचा रपट
86	प्रदर्श पी 87	हिसाब किताब की मूल डायरी

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श डी 1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02	प्रदर्श डी 2	पुलिस बयान गवाह मोहनलाल
03	प्रदर्श डी 3	पुलिस बयान गवाह रामकुमार
04	प्रदर्श डी 4	पुलिस बयान गवाह कुमारी ईशिता
05	प्रदर्श डी 5	पुलिस बयान गवाह सुरेन्द्र कुमार
06	प्रदर्श डी 5	पुलिस बयान गवाह संदीप कुमार
07	प्रदर्श डी 6	पुलिस बयान गवाह आत्माराम

08	प्रदर्श डी 6	पुलिस बयान गवाह दीपक कुमार
09	प्रदर्श डी 7	पुलिस बयान गवाह रामकिशन आर्य

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
01	आर्टिकल–1	खून आलूदा ईंट का टुकड़ा
02	आर्टिकल–2	सादा ईंट का टुकड़ा
03	आर्टिकल–3 से 5	दो बेडशीट खून आलूदा एवं चुन्नी मृतका सुमिधा
04	आर्टिकल–6 व 7	मृतका सुमिधा की सोने रंग की चेन एवं दो टॉप्स
05	आर्टिकल–8 से11	अज्ञात व्यक्तियों के पदचिह्न जरिये मोल्ड
06	आर्टिकल–12	एक लोहे की कुल्हाड़ी
07	आर्टिकल–13	पैंट
08	आर्टिकल–14	शर्ट
09	आर्टिकल–15	चप्पल
10	आर्टिकल–16 व 17	मुलजिम राकेश कुमार के बाएं और दाएं पैर के दो मोल्ड
11	आर्टिकल–18	एसबीबीजे बैंक बींझबायला की सीसीटीवी फुटेज
12	आर्टिकल–19	बालिका ईशिता के बयानों की वीडियोग्राफी की सीडी
13	आर्टिकल–20	मन्नपुरम फाइनेंस, सूरतगढ़ की सीसीटीवी फुटेज

अपराध अन्तर्गत धारा– 498ए, 302, 397, 449, 120बी भारतीय दण्ड संहिता

निर्णय दिनांक 01.04.2026

01– यह अभियोग पत्र पुलिस थाना घमूड़वाली की ओर से अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध अपराध धारा–302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध अपराध धारा –498ए, 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पदमपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण अनन्यतः विशिष्ट न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने के कारण प्रकरण को धारा–209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत इस न्यायालय को सुपुर्द किये जाने पर दिनांक –03.09.2016 को पंजीबद्ध किया गया।

02– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक –02.07.2016 को परिवादी मोहनलाल ने घटनास्थल गांव 36 एल.एन.पी. में अपनी पुत्री (मृतका समिधा) के निवास स्थान पर उपस्थित थानाधिकारी के समक्ष एक लिखित सूचना इस आशय की पेश की कि उसकी लड़की समिधा की शादी लगभग 13–14 साल पहले महावीर प्रसाद पुत्र अर्जुनराम निवासी –चक 36 एल.एन.पी. से की थी। समिधा सरकारी स्कूल मिडल में अध्यापिका थी, उसके दो बच्चे हैं। उस दिन 02.07.2016 को सुबह 1:48 बजे मध्यरात्रि फोन आया कि समिधा को मार दिया गया है। वह अपने परिवार के साथ चक 36 एल.एन.पी गया तो देखा कि उसकी बेटी समिधा को किसी तेज हथियार से मार दिया है, उसकी बेटी की जब से शादी हुई है, तब से आज तक उसके परिवार और उसकी बेटी समिधा को दहेज लाने के लिए तंग–परेशान करते आये हैं। इस बाबत उसने कई बार पंचायतें की और उसकी लड़की ने कई बार थाना में दरख्वास्त दी है। उसकी बेटी को महावीर, कृष्ण कुमार, आशा देवी, सावित्री, रानी निवासी गांव 36 एल.एन.पी., सीताराम व सावित्री पत्नी सीताराम गांव डुडियावाली ने एक साजिश रचकर उसकी बेटी समिधा को मार दिया है, आदि–आदि। इस लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना घमूड़वाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –103/2016 अन्तर्गत धारा– 302, 498ए भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध धारा –302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा–498ए, 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप–पत्र अधीनस्थ न्यायलाय में पेश किया गया।

03– बहस आरोप उभय पक्ष सुनने के पश्चात् अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध धारा–302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा–498ए, 302/120बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक

से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण के कथनानुसार बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में पेज संख्या–3 ता 6 में अंकित सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

05– अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अभिलिखित किये गये। जिसमें अभियुक्त राकेश कुमार ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि उसने मृतका को नही मारा। उससे पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गई, न ही उसके फुटप्रिंट मोल्ड लिये गये, न ही उसने महावीर के घर पर चिनाई का काम किया, न ही उसने महावीर से मृतका को मारने के लिये सुपारी ली। जब तक वह पुलिस कस्टडी में था तब पुलिसवालों ने उसके कई खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। वह महावीर को घटना से पहले नही जानता था। महावीर से उसका कोई सम्पर्क नही था। घटना में महावीर की कोई भूमिका नही है।

अभियुक्त महावीर प्रसाद ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया कि वह निर्दोष है। उसकी पत्नी समिधा के साथ अच्छी बनती थी। उसकी पोस्टिंग घटना के वक्त जालौर जिला में थी जहां पर वह 12 जून 2016 को घर से गया था और घर पर घटना के बाद उसके परिवारजनों के द्वारा फोन करने पर वह घर पर आया था। वह राकेश को नही जानता, न ही उसने कभी राकेश के साथ समिधा की हत्या करने का षडयंत्र रचा, न ही उसने कभी राकेश को समिधा की हत्या करने के लिये सुपारी दी। उसे इस प्रकरण में परिवादी द्वारा उसकी जमीन हड़पने के लिये इस प्रकरण में उसे झूठा फंसाया अभियुक्त बनाया है। उसकी समिधा से अच्छी बनती थी। उसकी पोस्टिंग जालौर में होने के कारण

व उसकी पत्नी की पोस्टिंग यहां पर होने के कारण वह बच्चों का लालन पालन कर रही थी व घर के समस्त कार्य वही करती थी।

06- अभियुक्तगण द्वारा प्रतिरक्षा में मौखिक साक्ष्य में कोई साक्षी परीक्षित नही करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में पेज संख्या-6 में अंकित सूची अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

07– बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गयी। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता पीड़ित पक्ष ने अपनी बहस के दौरान समरूप तर्क दिये कि अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा अभियुक्त महावीर प्रसाद के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुये सुपारी लेकर मृतका समिधा की हत्या की गई है। जिसकी पुष्टि चक्षुदर्शी साक्षी उसकी पुत्री ईशिता ने अपने बयानों में की है , जो बाल गवाह है। उसकी साक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नही है।

बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र घटना की सूचना होती है, जिसमें घटना का समस्त विवरण अंकित किये जाने की आवश्यकता नही रहती है। घटना की सूचना पुलिस को विधि अनुसार दी गई है। तत्पश्चात चक्षुदर्शी साक्षी ईशिता के कथनानुसार तफ्तीश करने पर अभियुक्तगण को आरोपित माना गया है और आरोपपत्र भी पेश हुआ है। मृतका के शरीर पर धारदार हथियार की चोट होना भी स्पष्ट है, जो स्वकारित नही हो सकती है और उसकी मृत्यु भी उसके ससुराल में हुई है। अतः मृतका की मृत्यु धारदार हथियार की चोट से होना भी स्पष्ट है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त महावीर प्रसाद का अपने खाते से राशि withdraw करना, सहअभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी के नाम से खाता खुलवाया जाना व उसमें अपने द्वारा पहचान अंकित किया जाना भी अंकित है जो बैंकिंग दस्तावेजों से इसकी पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया जाना कि अभियुक्त महावीर

प्रसाद अभियुक्त राकेश कुमार को जानता ही नही है और उससे कभी नही मिला, यह तर्क स्वीकार योग्य नही है।

बहस के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि जो जेवरात अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा गवाह ईशिता ने अपनी मृतका माता समिधा के खोलकर ले जाना बताया है, वह जेवरात बैंक में गिरवी रखकर अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा द्वारा गोल्ड लोन लिया गया है, जिसकी पुष्टि भी बैंक के अधिकारी/कर्मचारी व ईशिता की साक्ष्य से होती है तथा स्वयं अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी पूजा के स्वयं के जेवर होना बताते हुये गोल्ड लोन लिया जाना बैंक में स्वीकार किया है। जहां तक जेवरात की शिनाख्तगी का प्रश्न है, ईशिता द्वारा बैंक के समक्ष अपनी मृतका माता के जेवर शिनाख्त किया जाना कथन किया है अतः केवल जेवरात की शिनाख्तगी की कार्यवाही नही होने से अभियोजन कहानी पर विपरीत असर नही पड़ता है।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता पीड़ित पक्ष ने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क दिया है कि मृतका द्वारा घटना से पूर्व भी अभियुक्तगण के विरूद्ध अपनी जान का खतरा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो अभिलेख पर साक्ष्य में प्रदर्शित हुई है। अभियुक्त की निशानदेही से जेवरात, उसके खून आलूदा कपड़े, बेडशीट, हत्या में प्रयुक्त किये गये हथियार, अभियुक्त के पैरों के मोल्ड व उसकी चप्पल इत्यादि बरामद हुये है, जो बरामदगी कतई संदिग्ध नही है। एफएसएल रिपोर्ट से भी इस पर मानवरक्त पाये जाने की पुष्टि हुई है।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता पीड़ित पक्ष ने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क दिया है कि चक्षुदर्शी साक्षी ईशिता के अतिरिक्त अन्य गवाहान द्वारा भी सुनी सुनाई साक्ष्य होते हुये भी घटना की पुष्टि की गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक

षडयंत्र कर घर में घुसकर मृतका समिधा की हत्या कारित किये जाने के आरोप व मृतका के जेवरात लूटकर ले जाने के आरोप संदेह से परे साबित है। उक्त सभी तर्क देते हुये उन्होनें कहा कि अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध मानते हुये कड़े से कड़े दण्ड से दण्डित किया जाये।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अभियुक्त राकेश कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है, जबकि मृतका की पुत्री ईशिता ने समस्त घटना की जानकारी अपने नाना को दे दी थी और ईशिता द्वारा नाना को अभियुक्त राकेश कुमार के बारे में बताये जाने से पूर्व ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जो अभियोजन कहानी को संदेहजनक बनाता है। आगे तर्क देते हुये कहा कि मुख्य गवाह ईशिता के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। यह गवाह पुलिस बयानों के विपरीत बढ़ा चढ़ाकर कथन कर रही है। इसके द्वारा घटना देखी गई हो, संदेहजनक है। अन्य अभियोजन साक्षी भी आपस में रिश्तेदार व हितबद्ध साक्षी हैं एवं सुनी सुनाई साक्ष्य पर आधारित है तथा इनके बयानों में भी गंभीर विरोधाभास है। कोई स्वतंत्र गवाह भी अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पेश नही हुआ है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त राकेश कुमार ने मृतका के घर में कहां से प्रवेश किया और कहां से बाहर गया, इस सम्बंध में भी गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्त राकेश कुमार के पैरों के मोल्ड घटनास्थल से नही उठाये गये हैं और न ही पैरों के मोल्ड किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लिये गये है। जिस खेत से अभियुक्त राकेश कुमार के पैरों के मोल्ड का कथन किया है, उस खेत के मालिक को भी साक्ष्य में पेश नही किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क दिया है कि अभियुक्त राकेश कुमार ने अभियुक्त महावीर प्रसाद से मृतका की हत्या

करने हेतु 5,000/–रूपये की सुपारी ली हो और 70,000/–रूपये घर से अल्मारी में रखे हुये ले जाने हों, ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नही हुई है। अभियुक्त से न तो सुपारी की राशि 5,000/–रूपये और न ही शेष राशि 70,000/–रूपये की बरामदगी हुई है। अभियुक्त की पत्नी के नाम से बैंक खाता घटना से एक माह पूर्व खोला गया है, जिसमें अभियुक्त महावीर प्रसाद ने पहचानकर्त्ता के रूप में हस्ताक्षर किये है, न कि गारंटर के रूप में। इस खाता में अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा कोई लेनदेन भी नही किया गया है तथा जिन जेवरात पर अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी द्वारा ऋण लिया गया है, वह अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा के स्वयं के जेवरात थे, न कि मृतका के। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया गया कि जेवरात की विधि अनुसार शिनाख्तगी भी नही करवाई गई है। उक्त सभी तर्क देते हुये उन्होनें कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध आरोपित आरोपों को संदेह से परे साबित नही कर पाया है। अतः उन्होनें अभियुक्त राकेश कुमार को आरोपित आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

अभियुक्त महावीर प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया गया कि घटना की सर्वप्रथम सूचना देने वाला प्रेम जटवाल नामक व्यक्ति साक्ष्य में पेश नही हुआ है, न ही पुलिस द्वारा उससे किसी प्रकार की कोई तफ्तीश की गई है। घटना के पश्चात मृतका के पिता (परिवादी) के पास मृतका की पुत्री ईशिता का फोन रात्रि के 1.48 मिनट पर आया है। इसके पश्चात परिवादी कंट्रोल रूम व थाना में भी गया है लेकिन उस समय तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही हुई है, जो अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाता है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार गवाह ईशिता द्वारा अभियुक्त महावीर प्रसाद की ओर से अपनी मां/मृतका को टेलीफोन पर धमकी दिये जाने बाबत कि ''या तो उसे मार दूंगा या मरवा दूंगा'' के सम्बंध में कोई कॉल रिकार्डिंग अथवा

कॉल डिटेल पेश नही हुआ है। अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार को 5,000/–रूपये सुपारी दी गई हो, अभियुक्त महावीर प्रसाद और अभियुक्त राकेश कुमार ने अपनी मौजूदगी में बैंक से 80,000/–रूपये निकाले हों, इस बाबत कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नही हुई है। अभियुक्तगण महावीर प्रसाद व राकेश कुमार साथ–साथ रहे हों, इस बाबत भी कोई साक्ष्य पेश नही हुई है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महावीर प्रसाद की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि बरवक्त घटना अभियुक्त मौके पर मौजूद नही था, सरकारी ड्यूटी पर बाहर था। आगे तर्क देते हुये कहा कि जेवरात जो अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा ले जाना बताया है, उनकी शिनाख्तगी भी विधि अनुसार नही हुई है। अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा सह अभियुक्त राकेश कुमार को सुपारी देकर मृतका की हत्या करने का षडयंत्र कर उसकी हत्या करवाई गई हो, ऐसी कोई कड़ीबद्ध साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नही हुई है। आगे तर्क देते हुये उन्होनें कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध आरोपित आरोपों को संदेह से परे साबित नही कर पाया है। अतः उन्होनें अभियुक्त महावीर प्रसाद को आरोपित आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त ने निम्नलिखित सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–

1. AIR 1981 SC 1230 Sevi & Ors Vs. State of TN and ors.
2. 2003 Criminal Law Reporter (SC) 284 State of Rajasthan Vs. sheo Singh and ors. Para 9 & 10
3. 2008 (2) Cr. L R (Raj.) 1349 Shiv Narayan and ors. Vs State of Rajasthan

4. 1993 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान पेज 1 धूड़ाराम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

5. 2015 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 502 सुन्दर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

6. 2005 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान 1684 गिरीराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

7. 2012 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 383 हेमलता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

8. 2001 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एससी) पेज 830 कल्याण व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश

9. (2017) 100 ACrC 913 Anjan Kumar Sharma Vs State of Assam

10. 2007 (1) SCC (Cri.) 732 Vikramjeet singh @ vicky Vs. State of Punjab

11. 1997 एससीसी (क्राईम) 857 विजेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली

12. (2011) 3 SCC (Cri) 473 Mustkeem Alias Sirajudeen Vs. State of Rajasthan

08– उभय पक्ष के तर्को पर विचार व मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व सुसंगत विधि का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिंदु तय किया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होता है–

1. आया अभियुक्त **महावीर प्रसाद** ने दिनांक–01.07.2016 व 02.07.2016 के मध्य रात्रि से पूर्व लगभग 13–14 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी मृतका समिधा को अपने रिहायशी मकान 36 एलएनपी में दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया?
2. आया अभियुक्त **राकेश कुमार** ने दिनांक–01.07.2016 व 02.07.2016 के मध्य रात्रि को किसी समय मृतका समिधा के रिहायशी मकान 36 एलएनपी में मृतका समिधा की हत्या करने के आशय व ज्ञान से उसको कल्हाड़ी से चाटें कारित कर हत्या कारित कर दी व अभियुक्त **महावीर प्रसाद** ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त राकेश कुमार के साथ मिलकर अपनी पत्नी मृतका समिधा की हत्या कारित करने के आपराधिक षडयंत्र के अग्रसरण में राकेश कुमार द्वारा समिधा की कुल्हाड़ी से चोटे कारित कर हत्या कारित की?
3. आया अभियुक्त **राकेश कुमार** ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतका समिधा की घातक हथियार कुल्हाड़ी से लैस होकर हत्या करने के अग्रसरण में उसके जेवरात सोने की चैन व टोप्स लेकर लूट कारित की?
4. आया अभियुक्त **राकेश कुमार** ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतका के रिहायशी मकान में मृत्यु से दण्डनीय अपराध कारित करने के लिये गृह अतिचार किया?
5. यदि हां तो उसके लिये समुचित दण्ड क्या होगा ?

09– प्रकरण में उपर्युक्त अवधारणीय बिंदु/बिंदुओ के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का क्रमवार संक्षेप में अवलोकन किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार हैः–

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध जो आरोप है, उन्हें साबित करने के लिये जो गवाहान पेश हुये हैं, उनमें सर्वप्रथम महत्वपूर्ण

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड.–3 ईशिता के बयान महत्वपूर्ण है। इस गवाह ने घटना को अपनी आंखों से देखा जाना कथन किया है। इस गवाह का अपने बयानों में मुख्य परीक्षा में यह कथन है कि **''दिनांक–01.07.2016 की रात्रि की घटना है, रात के 12–1 बजे का समय था, बारिश आई थी। हमने मांचे अन्दर किये और लाईट जला कर सो गये। मुझे मेरी मम्मी के चिल्लाने की आवाज आई "मार दिया'' इस पर हम उठे। मेरा भाई मेरी मम्मी के साथ सोया हुआ था, मैं साथ वाली चारपाई पर सोई हुई थी। चिल्लाने की आवाज सुनकर हम उठे और देखा कि राकेश के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह मेरी मम्मी को कुल्हाड़ी से मार रहा था और वह मेरी मम्मी को उठाकर अंदर ले गया। मैने उठकर रोते हुये देखा कि राकेश कमरे के अंदर मेरी मम्मी के कुल्हाडी की मार रहा था, इस पर मैं और जोर से रोई। राकेश ने मुझे डराया कि अगर तुने किसी को बताया तो मैं तुझे भी मार दूँगा। कमरे के अंदर राकेश सामान को फिरौलने लग गया। राकेश ने मेरी मम्मी के कानो की बालियां व गले की चैन निकाल कर कुल्हाड़ी समेत भाग गया"।**

ईशिता ने इस घटना की सूचना रात को 1.48 मिनट पर अपने नाना मोहनलाल (परिवादी) को मोबाईल के जरिये दिया जाना कथन किया है। अभियोजन साक्षी मोहनलाल भी पी.ड.–1 के रूप में साक्ष्य में पेश हुआ है। जिसने इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसका भी अपने बयानों में यह कथन है कि **''दिनांक–01.07.16 व 02.07.16 की मध्यरात्रि को समय लगभग रात्रि के 1.48 बजे मेरी दोहती इशिता ने मुझे फोन किया कि मेरी मम्मी को कोई तेज धारदार हथियार से काटकर मार गये है, वह रो रही थी और चिल्ला रही थी"।**

10– गवाह मोहनलाल ने सूचना मिलने पर अपनी पत्नी शांति व पुत्र दीपक व सुरेन्द्र कुमार व सरंपच रामकुमार को सूचित कर पुलिस कंट्रौल रूम

जाकर सूचना दिया जाना, पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा थाना में सूचना दिया जाना तथा तत्पश्चात मौका पर जाना कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि **''जब हम मौका पर पहुंचे तो मेरे दोहता दोहती रो रहे थे और हम घर के अंदर गये तो देखा कि मेरी लड़की समिधा बैड के ऊपर कमरे में पड़ी थी, उसके कान के नीचे तेज धारदार हथियार से लम्बा कट लगा हुआ था, आखं के नीचे कट लगा था, गले के नीचे कट लगा हुआ था, सिर पर सूजन आई हुई थी, गले का लोकेट बालो मे फंसा हुआ था, कान मे कोका था"।**

इस गवाह ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि ईशिता घटना के समय डरी हुई थी। गवाह मोहनलाल ने मौके पर प्रदर्शपी–1 रिपोर्ट लिखकर पुलिस को दिया जाना भी कथन किया है व पुलिस द्वारा समस्त कार्यवाही मौके पर कर मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर लाश सुपुर्द किया जाना भी कथन किया है। इस गवाह का अपने बयानों में मुख्य रूप से यह भी कथन रहा है कि **''ईशिता ने मुझे बताया कि जो चिनाई का काम करके गया था, वो राकेश था, उसने मेरी मम्मी को कुल्हाड़ी से मारा है''** तथा यह भी कथन किया है कि **"इशिता घटना के समय डरी हुई थी"।**

11– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह जो परिवादी मोहनलाल के साथ मौके पर थे, जिसमें गवाह पी.ड.–12 दीपक कुमार, पी.ड.–5 सुरेन्द्र व पी.ड.–2 रामकुमार ने भी परिवादी मोहनलाल व ईशिता के बयानों की पुष्टि की है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जो उपरोक्त साक्षी पेश हुये हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि परिवादी मोहनलाल की पुत्री समिधा का मौके पर मृत पाया जाना, उसके शरीर पर धारदार हथियार से चोटें होना स्पष्ट है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहान के कथनों से भी धारदार हथियार से मृतका समिधा की मृत्यु होना स्पष्ट है। मृतका के शरीर पर जो चोटें पाई गई हैं, वह स्वकारित भी नही हो

सकती है। अतः मृतका के शरीर पर पाई गई चोटों से यह तो स्पष्ट है कि मृतका समिधा की हत्या हुई है और अभियोजन साक्षी ईशिता प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में पेश हुई है व अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या करना व हत्या करते हुये स्वयं द्वारा देखना स्पष्ट रूप से कथन किया है।

12– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2001 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (एससी) पेज 830 कल्याण व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश,** पेश किया गया है, उसका सादर अवलोकन किया गया। इसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने जो घटना देखी है और जो न्यायालय में बयान दिये हैं उसमे किसी प्रकार का कोई गंभीर विरोधाभास नही है तथा चिकित्सीय राय भी कारित चोटों के अनुरूप बताई गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नही होता है।

13– प्रकरण में तफ्तीश के दौरान अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है और अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा स्वयं की सूचना के आधार पर घटनास्थल की तस्दीक करवाई गई है और अभियुक्त राकेश कुमार की इत्तला के आधार पर हत्या में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी तथा अपने खून से सने हुये कपड़े, चप्पल व जेवरात आदि की बरामदगी भी करवाई गई है तथा जो कुल्हाड़ी व कपड़े जब्त किये गये हैं, उन पर एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार मानवरक्त भी पाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त राकेश कुमार इसकी मां की हत्या करने के पश्चात सोने की चैन व कानों के टॉप्स खोलकर ले गया था। मृतका समिधा के सोने की चैन व कानों के टॉप्स की बरामदगी भी अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा दी गई इत्तला के आधार पर जिस बैंक में उक्त जेवरात गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया गया था, उस बैंक से हुई है

तथा सोने की चैन व टॉप्स ईशिता व मृतका समिधा के भाई दीपक कुमार ने समिधा के होना पहचान किये है।

14– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **(2011) 3 SCC (Cri) 473 Mustkeem Alias Sirajudeen Vs. State of Rajasthan** पेश किया गया है, उसका सादर अवलोकन किया गया। इसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में जो बरामदगी हुई है वह अभियुक्त की निशानदेही से हुई है जो रूबरू गवाहान हुई है। बरामदगी के गवाहान द्वारा भी बरामदगी की पुष्टि की गई है एवं बरामदगी के गवाहान पक्षद्रोही भी नही हुये है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की ओर से जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया है, वह तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

15– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2005 (2) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान 1684 गिरीराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** पेश किया गया है, उसका सादर अवलोकन किया गया। इसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में जो साक्ष्य पेश हुई है, उसमें अभियुक्त महावीर प्रसाद की पत्नी समिधा (मृतका) का किसी से भी अवैध व नाजायज सम्बंध हो और इस कारण घटना कारित हुई हो, ऐसे कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

16– यह भी गौरतलब है कि घटना के पश्चात स्वयं अभियुक्त राकेश कुमार ने अपनी पत्नी पूजा के साथ जाकर उक्त सोने की चैन व टॉप्स अपना बताते हुये गोल्ड लोन लिया है, जिसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्त की पत्नी पूजा जो पी.ड.–15 के रूप में साक्ष्य में पेश हुई है, उसके बयानों से भी होती है। जिसमें

पूजा ने अपने बयानों में पक्षद्रोही होते हुये ऋण दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होना, टॉप्स व चैन बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेना भी स्वीकार किया है। हालांकि सोने की चैन व टॉप्स पूजा ने अपने होना बताये हैं लेकिन कोई भी समर्थित साक्ष्य पेश नही हुई है। अभियोजन साक्षी पी.ड.–4 धर्मवीर, पी.ड.–6 गुलशन मेघानी, पी.ड.–8 बाबूलाल पुत्र श्यामलाल व पी.ड.–9 सुरेश कुमार मेहता ने भी पूजा द्वारा सोने की चैन व टॉप्स बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेना कथन किया है। ईशिता ने सोने की चैन व टॉप्स राकेश कुमार द्वारा खोलकर ले जाना व अपनी मां के होना कथन किया है। मृतका समिधा के भाई दीपक कुमार द्वारा भी सोने की चैन व टॉप्स अपनी बहिन के होना कथन किया है। ऐसी स्थिति में मृतका की हत्या के तुरंत पश्चात उसके पहने हुये जेवर अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा ले जाकर अपनी पत्नी पूजा द्वारा बैंक में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया जाना स्पष्ट हुआ है। हत्या के पश्चात मृतका की सोने की चैन व टॉप्स अभियुक्त व उसकी पत्नी के पास कैसे आये, इसका कोई स्पष्टीकरण भी राकेश कुमार की ओर से नही किया गया है। घटना के पश्चात ही राकेश कुमार द्वारा जेवरात ले जाना व बैंक में गोल्ड लोन हेतु राकेश कुमार द्वारा उक्त जेवरात अपनी पत्नी पूजा के बताकर गोल्ड लोन लेना इस तथ्य को पुष्ट करता है कि घटना के पश्चात मृतका के जेवरात सोने की चैन व टॉप्स राकेश कुमार खोलकर ले गया था, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता द्वारा किये गये कथन को बल प्रदान करता है।

17– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि जेवरात की शिनाख्तगी की कार्यवाही नही करवाई गई है और जेवरात साक्ष्य के दौरान न्यायालय में पेश नही हुये हैं परंतु न्यायालय उनके इस तर्क से सहमत नही है क्योंकि जेवरात स्वयं अभियुक्त राकेश कुमार की इत्तला पर बरामद हुये हैं, जो बरवक्त बरामदगी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता व मृतका के भाई दीपक कुमार ने बैंक में गिरवी रखे जेवरात की मौके पर शिनाख्तगी की है और

जेवरात अपनी मां व बहिन के होना बताया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिया गया उक्त तर्क स्वीकार योग्य नही रहता है।

18– बचाव पक्ष की ओर से जो न्यायिक दृष्टांत **2015 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 502 सुन्दर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** तथा **(2011) 3 SCC (Cri) 473 Mustkeem Alias Sirajudeen Vs. State of Rajasthan** पेश किये गये हैं, इनमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है लेकिन हस्तगत प्रकरण में बरामदगी अभियुक्त की इत्तला के आधार पर हुई है तथा बरामदगी के गवाह भी पक्षद्रोही नही हुये हैं और वक्त बरामदगी ईशिता व दीपक कुमार ने सोने की चैन व टॉप्स अपनी मां व बहिन के होना कथन किया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नही होते हैं।

19– विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण राकेश कुमार व महावीर प्रसाद का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त राकेश कुमार का अभियुक्त महावीर प्रसाद से और अभियुक्त महावीर प्रसाद का अभियुक्त राकेश कुमार से कोई सम्बंध नही है। वे दोनों एकदूसरे को नही जानते। अभियुक्तगण राकेश कुमार व महावीर प्रसाद ने अपने–अपने बयान मुलजिम में भी इस आशय के कथन किये हैं। उनके द्वारा दिये गये इस तर्क पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना के लगभग एक माह पूर्व दिनांक –09.06.2016 को अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा के नाम से बैंक में खाता खोला गया है। खाता खोले जाने से सम्बंधित दस्तावेज भी पत्रावली पर प्रदर्शित हुये हैं और खाता धारक पूजा जो अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी है, उसकी पहचान अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा की गई है, जिसका कोई खण्डन अभियुक्त महावीर प्रसाद की ओर से नही किया गया है। न्यायालय की राय में बिना जानपहचान के कोई

भी व्यक्ति बतौर गवाह खाता धारक की पहचान नही करता है। ऐसे में अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार की पत्नी पूजा के खाता खोलने के समय उसके द्वारा की गई शिनाख्त से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त राकेश कुमार व अभियुक्त महावीर प्रसाद व पूजा एकदूसरे को आपस में जानते है।

20– यह भी गौरतलब है कि गवाहान ईशिता व मोहनलाल के कथनानुसार अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा अभियुक्त महावीर प्रसाद के घर पर निर्माण व मरम्मत का कार्य किया गया है जिसका महावीर प्रसाद द्वारा राकेश कुमार को भुगतान करना बताया गया है तथा एक डायरी प्रदर्शपी–26 ए के रूप में पत्रावली पर पेश व प्रदर्शित हुई है। जो डायरी अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा संधारित की गई है। इस डायरी में अंकित प्रविष्ट के अनुसार महावीर प्रसाद द्वारा राकेश कुमार को भुगतान किया जाना भी अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन साक्षी पी.ड.–25 सलीम पठान ने भी अपने बयानों में अभियुक्त राकेश कुमार व महावीर प्रसाद का पुलिया के पास मिलना व आपस में बातें करते हुये देखना व रूपयों का लेनदेन करते हुये देखना कथन किया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क देना कि अभियुक्तगण एकदूसरे को नही जानते, उनका आपस में कोई लेनदेन नही है, यह तर्क स्वीकार योग्य नही है।

21– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में अभियुक्त राकेश कुमार की कोई शिनाख्तगी की कार्यवाही नही हुई है। यह सही है कि अभियुक्त राकेश कुमार की अलग से कोई शिनाख्तगी की कार्यवाही नही हुई है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ईशिता प्रत्यक्षदर्शी साक्षी राकेश कुमार को पूर्व से जानती थी तथा अपने पिता का मिलने वाला होना बताया है तथा ईशिता ने अभियुक्त राकेश कुमार का घर काम करना कथन किया है, जो राकेश कुमार को पूर्व से जानती

है। अतः अभियुक्त राकेश कुमार की अलग से कोई शिनाख्तगी की कार्यवाही नही होने से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत असर नही पड़ता है। इस सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नही रहता है।

22– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के पैरों के मोल्ड के निशान घटनास्थल से नही लिये हैं तथा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी पैरों के मोल्ड के निशान नही लिये गये है। अतः इस सम्बंध में प्रस्तुत साक्ष्य, साक्ष्य में ग्राह्य नही है। यह सही है कि इस प्रकरण में अभियुक्त राकेश कुमार के पैरों के मोल्ड पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान लिये गये हैं, वे घटनास्थल से नही लिये गये हैं, इस तथ्य को तफ्तीश करने वाले अधिकारी द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा जिस जगह से अभियुक्त राकेश कुमार के पैरों के मोल्ड लिये हैं, वहां अभियुक्त गया हो, इसकी पुष्टि भी नही होती है तथा जिस खेत से अभियुक्त राकेश कुमार के पैरों के मोल्ड लिये जाना बताया गया है, उस खेत मालिक को भी अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पेश नही किया गया है एवं पैरों के मोल्ड किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी नही लिये गये है। अतः इस सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नही है और जो न्यायिक दृष्टांत **2015 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 502 सुन्दर व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** पेश किया गया है, वह हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

23– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार का अपनी बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्त राकेश कुमार इस प्रकरण में नामजद नही है। घटना की सूचना बाबत फोन ईशिता द्वारा किया गया अथवा प्रेम जटवाल द्वारा किया गया, इस सम्बंध में विरोधाभास है। अनुसंधानाधिकारी ने प्रेम जटवाल नामक व्यक्ति द्वारा टेलीफोन से सूचना मिल जाना कथन किया है लेकिन

प्रेम जटवाल से कोई तफ्तीश नही की गई है। वहीं दूसरी ओर रात्रि को 1.48 मिनट पर ईशिता ने भी घटना की सूचना अपने नाना मोहनलाल को फोन द्वारा दिया जाना बताया है और मोहनलाल (परिवादी) द्वारा व अन्य गवाहान द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दिया जाना व कंट्रोल रूम द्वारा थाना को सूचना दिया जाना स्पष्ट है। पुलिस को अपराध की घटना से सम्बंधित सूचना मिलना आवश्यक है और घटना की सूचना ईशिता द्वारा मोहनलाल को और मोहनलाल द्वारा सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को व कंट्रोल रूम द्वारा थाने में दी गई है तथा परिवादी व गवाहान के मौके पर पहुंचने से पूर्व पुलिस मौके पर भी पहुंची हुई थी। ऐसी स्थिति में घटना की सूचना मिलने के तुरंत पश्चात पुलिस द्वारा मौके की कार्यवाही शुरू की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रेम जटवाल नामक व्यक्ति से तफतीश नही होने मात्र से अभियोजन कहानी को संदेहजनक नही माना जा सकता है।

इस सम्बंध में सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **AIR 1981 SC 1230 Sevi & Ors Vs. State of TN and ors. तथा 2003 Criminal Law Reporter (SC) 284 State of Rajasthan Vs. sheo Singh and ors.** पेश किये गये हैं, इनमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में अनुसंधानाधिकारी द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पहले से दर्ज हुई है और उसे छुपाया गया हो या पेश नही किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नही है। इसके अलावा घटना की सूचना प्रेम जटवाल द्वारा भी दिया जाना बताया गया है व ईशिता के माध्यम से मोहनलाल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम व पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना और मौके पर मोहनलाल द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाया जाना स्पष्ट हुआ है तथा हस्तगत प्रकरण में मृतका के कोई मृत्युकालिक कथन भी नही हुये हैं। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर

से प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

इसी प्रकार जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2008 (2) Cr. L R (Raj.) 1349 Shiv Narayan and ors. Vs State of Rajasthan** बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया है, इसमें अभिनर्धारित बिंदुओं से भी न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में प्रेम जटवाल की ओर से सूचना प्राप्त होना तो अनुसंधानाधिकारी ने कथन किया है लेकिन उस सूचना को रोजनामचा आम में दर्ज किया गया हो, इस आशय के कोई कथन अनुसंधानाधिकारी ने नही किये है। अतः रोजनामचा आम छुपाया गया हो, पेश नही किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नही है। अतः प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

24– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से दिये गये उक्त तर्क का प्रश्न है कि अभियुक्त राकेश कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है। यह सही है कि अभियुक्त राकेश कुमार प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है लेकिन न्यायालय की राय में जो रिपोर्ट घटना के सम्बंध में दर्ज करवाई जाती है वह अपराध घटित होने की सूचना मात्र होती है। यह आवश्यक नही है कि उसमें सम्पूर्ण विवरण का अंकण हो। अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्ष्य पेश हुई है, उससे यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने अपने नाना परिवादी मोहनलाल को मां समिधा को मारे जाने बाबत सूचना दी थी। परिवादी व अन्य गवाहान के मौके पर पहुंचने पर ईशिता व उसके रिश्तेदार रो रहे होना कथन किया गया है तथा गवाहान का यह भी कथन आया है कि ईशिता उस समय शॉक्ड थी, डरी व सहमी हुई थी। एक 11–12 वर्षीय बच्ची, जिसकी आंखों के सामने उसकी मां की हत्या की जाये तो ऐसी स्थिति में शॉक्ड होना व डरी सहमी होना स्वाभाविक है। ऐसे में घटना कारित करने वाले का नाम नही

बताये जाने से अभियोजन कहानी संदिग्ध नही हो जाती है। अभियोजन साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने दो –तीन दिन बाद सामान्य परिस्थिति में आने पर समस्त बात अपने नाना को व पुलिस के समक्ष विस्तृत रूप से बताई है और ईशिता ने न्यायालय में भी अपने विस्तृत रूप से बयान घटना देखे जाने के सम्बंध में किये हैं और अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा अपनी मां की हत्या किये जाने बाबत स्पष्ट रूप से कथन किये है। अतः अभियुक्त राकेश कुमार के प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही होने से अभियोजन कहानी को संदेहजनक नही माना जा सकता है।

25– बचाव पक्ष की ओर से जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **1993 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर राजस्थान पेज 1 धूड़ाराम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** पेश किया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु इस प्रकरण में ईशिता की सूचना के आधार पर उसके नाना के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है तथा अभियुक्त राकेश कुमार से पीड़ित व उसके नाना की कोई दुश्मनी हो, ऐसा भी कुछ स्पष्ट नही है तथा मृतका के शरीर पर जो चोटें कारित होना पाई गई है, उसका ईशिता ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी होती है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाने से सम्बंधित गवाहान ने कथन किया हो, ऐसा भी स्पष्ट नही हुआ है। ऐसी स्थिति में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, वह तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

26– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राकेश कुमार द्वारा हत्या किया जाना बताये जाने से पूर्व ही राकेश कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाता है। इस सम्बंध में प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। ईशिता द्वारा व परिवादी द्वारा घटना दिनांक–01.07.2016 व

02.07.16 की मध्यरात्रि की बताई गई है और अभियुक्त राकेश कुमार की गिरफ्तारी दिनांक–04.07.2016 को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–33 हुई है, जो घटना के बारे में दो–तीन दिन बाद बताये जाने पर गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त राकेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, इसकी पुष्टि नही होती है। अतः इस सम्बंध में दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नही है।

27– अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्ष्य पेश हुई है, उसमें ईशिता के कथनानुसार अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा घर में घुसकर कुल्हाड़ी से उसकी मां की हत्या की गई है तथा राकेश कुमार द्वारा उसकी मां की सोने की चैन व कानों के टॉप्स खोलाकर ले जाना भी स्पष्ट हुआ है तथा राकेश कुमार की इत्तला के आधार पर रूबरू गवाहान बरामदगी भी हुई है।

28– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त राकेश कुमार की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त से की गई बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नही है अतः बरामदगी संदिग्ध है लेकिन न्यायालय की राय में हत्या में प्रयुक्त हथियार कुल्हाड़ी, अभियुक्त के खून आलूदा कपड़े, चप्पल व जेवरात आदि की जो बरामदगी की गई है, वह अभियुक्त द्वारा दी गई धारा–27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर की गई है। बरामदगी में केवलमात्र स्वतंत्र गवाह नही होने से और बरामदगी में पुलिस के गवाह होने मात्र से बरामदगी को संदेहजनक नही माना जा सकता है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क स्वीकार योग्य नही है।

29– जहां तक अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध आरोपित आरोप का प्रश्न है इस सम्बंध में भी विद्वान अधिवक्ता महावीर प्रसाद का यह कथन रहा है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद व राकेश कुमार एक दूसरे को नही जानते, इनका आपस में कोई सम्बंध नही है परंतु उपरोक्त साक्ष्य के विवचानुसार यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त राकेश कुमार ने अभियुक्त महावीर प्रसाद के यहां

निर्माण व मरम्मत का कार्य किया है तथा उसे महावीर प्रसाद द्वारा भुगतान भी किया गया है तथा भुगतान हेतु डायरी में की गई प्रविष्टि भी साक्ष्य में पेश हुई है तथा अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा राकेश कुमार की पत्नी का खाता खुलवाते समय पहचान भी की गई है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महावीर प्रसाद का यह तर्क दिया जाना कि अभियुक्त महावीर प्रसाद व अभियुक्त राकेश कुमार एकदूसरे को नही जानते, उनका कोई लेनदेन नही है और आपस में कोई सम्बंध नही है, स्वीकार योग्य नही है।

30– विद्वान अधिवक्ता महावीर प्रसाद की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त महावीर प्रसाद मृतका को फोन पर धमकाते हुये मारने या मरवाने की धमकी देता हो, इस सम्बंध में भी कोई कॉल डिटेल पेश नही हुई है तथा अभियुक्त महावीर प्रसाद ने राकेश कुमार के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने का षडयंत्र किया हो, ऐसी भी कोई साक्ष्य पेश नही हुई है। जहां तक कॉल डिटेल का प्रश्न है, ईशिता ने स्वयं अपने बयानों में यह कथन किया है कि जब भी उसके पापा मम्मी को फोन करते तो धमकाते थे कि तेरे को मार दूंगा या मरवा दूंगा। फोन पर अपनी मम्मी को अपने पापा (अभियुक्त महावीर प्रसाद) द्वारा गाली गलौच करना कथन किया गया है। जब एक पुत्री अपने पिता के विरूद्ध इस आशय के कथन कर रही है कि वो (अभियुक्त महावीर प्रसाद) उसकी मां को गाली गलौच करते थे तथा मरने मारने की धमकी देते थे, तो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत होने के बाद किसी प्रकार के कॉल डिटेल की आवश्यकता नही रहती है।

31– जहां तक महावीर प्रसाद व राकेश कुमार का आपस में मिलकर मृतका समिधा की हत्या करने का षडयंत्र करने का प्रश्न है, इस सम्बंध में भी ईशिता ने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से किान किया है कि उसके पापा मम्मी से झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे व गालियां निकालकर जान से मारने की

धमकी देते थे व कहते थे कि तुझे मार दूंगा या मरवा दूंगा। मृतका समिधा को अभियुक्त महावीर प्रसाद से जान का खतरा था, इस सम्बंध में मृत्यु से पूर्व भी समिधा द्वारा महावीर प्रसाद व उसके घरवालों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जो पत्रावली पर साक्ष्य में प्रदर्शित हुई है। अभियुक्त महावीर प्रसाद को न्यायालय और पुलिस द्वारा पाबंद भी किया गया है, ऐसे दस्तावेज भी साक्ष्य में प्रदर्शित हुये है। अतः मृतका समिधा को अभियुक्त महावीर प्रसाद से पूर्व से जान का खतरा था, इस आशय की पुष्टि भी ईशिता के कथनों से व पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजों से होती है।

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने अपने बयानों में यह भी कथन किया है कि उसके पिता अभियुक्त महावीर प्रसाद ने उसकी मां को अभियुक्त राकेश कुमार से मरवाया है। परिवादी पी.ड.–1 मोहनलाल, पी.ड.–5 सुरेन्द्र, पी.ड.–10 आत्माराम व पी.ड.–12 दीपक कुमार है। परिवादी पी.ड.–1 मोहनलाल ने अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि ''मेरी लड़की को महावीर प्रवसाद व उसके परिवारवालों ने साजिश के तहत कत्ल करवाया है''।

साक्षी पी.ड.–5 सुरेन्द्र ने भी अपने बयानों में कथन किया है कि ''मेरी बहिन को महावीर प्रसाद व उसके परिवारवालों ने पूरी साजिश करके राकेश कुमार से मरवा दिया''।

साक्षी पी.ड.–10 आत्माराम ने भी अपने बयानों में मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब वह बैठक में गया तब उसे पता चला कि "महावीर व उसके परिवारवालों कह कहने पर राकेश द्वारा सुपारी लेकर हत्या की गई है''।

अभियोजन साक्षी पी.ड.–12 दीपक कुमार ने भी अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे बहनोई महावीर प्रसाद ने मेरी बहिन समिधा को राकेश कुमार के साथ साजिश रचकर सुपारी देकर जानसे मरवाया है''।

अभियोजन पक्ष की ओर से जो उपरोक्त गवाहान के कथन आये हैं, उनमें यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद ने राकेश कुमार के साथ मिलकर समिधा की हत्या करवाई है/मरवाया है तथा प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य से यह भी स्पष्ट हुआ है कि महावीर प्रसाद समिधा को पहले भी जान से मारने की धमकी देता रहा है तथा जान से मारने का प्रयास भी किया है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त गवाहान द्वारा यह स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद ने राकेश कुमार के साथ मिलकर समिधा की हत्या करवाई है।

32– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से जो सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत **2012 (1) क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राज0) 383 हेमलता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान** पेश किया गया है, जिसका सादर अवलोकन किया गया। इसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु हस्तगत प्रकरण में स्वयं गवाह ईशिता ने अपने पिता/अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा टेलीफोन से उसकी मां को मारने अथवा मरवाने की धमकी दिया जाना स्पष्ट रूप से कथन किया है। ऐसी स्थिति में अलीग से कोई कॉल डिटेल की आवश्यकता नही रहती है तथा पत्रावली पर कोई कॉल डिटेल भी पेश नही हुई है अतः धारा–65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र की भी आवश्यकता नही है। जहां तक मृत्यु कारित करने के हेतुक का प्रश्न है वह अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में प्रत्यक्ष रूप से आया है। ऐसी स्थिति में बचावपक्ष की ओर से जो उक्त

न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया है वह तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नही होता है।

33– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण दोनों आपस में मिले हों और आपस में षडयंत्र किया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य नही है लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्षी पी.ड.–25 सलीम पठान साक्ष्य में पेश हुआ है, उसका अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन रहा है कि दिनांक–10.06.2016 को जब वह घमूड़वाली की नहर की पुलिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे मुलजिमान राकेश कुमार व महावीर प्रसाद खड़े आपस में बातें कर रहे थे एवं महावीर प्रसाद राकेश कुमार को रूपये दे रहा था। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि मृतका समिधा की हत्या से पूर्व अभियुक्त राकेश कुमार व महावीर प्रसाद आपस में मिले हैं और महावीर प्रसाद द्वारा राकेश कुमार को रूपये भी दिये गये है। अतः विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया जाना कि अभियुक्तगण आपस में नहीं मिले और न ही एक दूसरे को जानते हैं, उनके द्वारा इस सम्बंध में दिया गया तर्क स्वीकार योग्य नही है।

अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य तथा विशिष्ट लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से किये गये तर्क तथा पत्रावली पर प्रदर्शित दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ है कि घटना से पूर्व अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा 80,000/–रूपये अपने खाते से निकाले गये हैं तथा 5,000/–रूपये की सुपारी राकेश कुमार को महावीर प्रसाद द्वारा दी गई है। राकेश कुमार को महावीर प्रसाद द्वारा रूपये का लेनदेन करते हुये अभियोजन साक्षी पी.ड.–25 सलीम पठान ने देखना कथन किया है। यह सही है कि 5,000/–रूपये की राशि बरामद नही हुई है लेकिन जिस स्थान पर

5,000/–रूपये की राशि का लेनदेन हुआ है, उस स्थान की तस्दीक भी अभियुक्तगण द्वारा स्वयं की इत्तला से करवाई गई है, जिसकी पुष्टि सलीम पठान के कथनों से होती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 70,000/–रूपये की राशि महावीर प्रसाद द्वारा अल्मारी में रखे जाना और अपराध कारित करने के पश्चात राकेश कुमार द्वारा अल्मारी से 70,000/–रूपये ले जाना भी तय होना बताया गया है लेकिन 70,000/–रूपये पुलिस ने अभियुक्त महावीर प्रसाद की इत्तला के आधार पर मौके से अल्मारी से बरामद किये है। 70,000/–रूपये अल्मारी में क्यों व किसलिये रखे गये थे, इस सम्बंध में महावीर प्रसाद की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त महावीर प्रसाद व राकेश कुमार के मध्य रूपयों का लेनदेन हो, आपस में मिलना भी अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट होता है।

34– विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान आपस में रिश्तेदार व हितबद्ध साक्षी हैं और उनके बयानों में भी गंभीर विरोधाभास है। इस सम्बंध में भी पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत गवाहान के बयानो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गवाहान के बयानों में मामूली विरोधाभास है। ऐसा कोई गंभीर विरोधाभास नही है जो अभियोजन कहानी को संदिग्ध बनाता हो। वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता ने अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा अपनी मां की कुल्हाड़ी से हत्या करना स्पष्ट रूप से कथन किया है।

35– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत **1997 एससीसी (क्राईम) 857 विजेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली** पेश हुआ है, जिसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है। हस्तगत प्रकरण में पुलिस अनुसंधान से अभियुक्तगण राकेश कुमार व महावीर प्रसाद पर आरोपित आरोप को प्रमाणित करते हुये आरोपपत्र पेश किया गया है तथा अभियोजन

साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों के सम्बंध में स्पष्ट व प्रत्यक्ष साक्ष्य दी है। ऐसी स्थिति में जो न्यायिक दृष्टांत बचाव पक्ष की ओर से पेश किया गया है वह तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होता है।

36– ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश हुई है, उनके विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद पर अभियुक्त राकेश कुमार के साथ मिलकर षडयंत्र रचना तथा अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत मृतका समिधा की दिनांक–01.07.2016 व 02.07.16 की मध्यरात्रि को घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारपीट कर हत्या कारित की है, जिसकी पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता जो मृतका की पुत्री है, के द्वारा की गई है तथा अभियुक्त राकेश कुमार की इत्तला के आधार पर खून आलूदा कुल्हाड़ी, खून आलूदा कपड़े, चप्पल व जेवरात सोने की चैन व टॉप्स, जो मृतका के शरीर से खोलकर ले जाना बताया गया है, वे भी अभियुक्त राकेश कुमार की निशानदेही से उसके द्वारा दी गई इत्तला के आधार पर रूबरू गवाहान बरामद हुये हैं तथा अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा घटनास्थल की स्वयं की निशानदेही से तस्दीक भी की गई है। जब्तशुदा कुल्हाड़ी व कपड़े पर एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार मानवरक्त पाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ईशिता के कथनानुसार अपनी मां समिधा की हत्या अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा किये जाने की भी पुष्टि की गई है। अतः अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद व अभियुक्त राकेश कुमार ने आपराधिक षडयंत्र रचकर अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा मृतका समिधा की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की गई है जो अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित है।

37– जहां तक विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत सम्माननी न्यायिक दृष्टांत (2017) 100 ACrC 913 Anjan Kumar Sharma Vs

State of Assam तथा 2007 (1) SCC (Cri.) 732 Vikramjeet singh @ vicky Vs. State of Punjab का प्रश्न है। इसमें अभिनिर्धारित बिंदुओं से न्यायालय सादर सहमत है परंतु प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नही होते हैं।

38– जहां तक अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा –498 ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप का प्रश्न है, इस सम्बंध में हालांकि अभियोजन साक्षियों द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद द्वारा मृतका को दहेज के लिये तंग परेशान किया जाता था व रूपयों की मांग की जाती थी और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत पूर्व में प्रकरण दर्ज है, उसका निर्णय अलग से होना है। हस्तगत प्रकरण में हत्या से पूर्व अभियुक्त द्वारा दहेज के सम्बंध में कोई मांग की गई हो, इसका कोई विशिष्ट कथन अभियोजन साक्षियों की ओर से नही आया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे साबित नही कर पाया है। अभियुक्त महावीर प्रसाद को धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

39– उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध धारा–302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा –302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप संदेह से परे साबित किया है।

40– अतः अभियुक्त **राकेश कुमार** को धारा–302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त **महावीर प्रसाद** को धारा–302/120 बी

भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

41– फलतः अभियुक्त **राकेश कुमार पुत्र** ओमप्रकाश **निवासी –33** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–302, 397, 449 भारतीय दण्ड संहिता तथा अभियुक्त महावीर प्रसाद पुत्र अर्जुनराम **निवासी –36** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

अभियुक्त **महावीर प्रसाद** को धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

(अजय कुमार भोजक)
(अतिरिक्त कार्यभार)

सजा के प्रश्न पर–

42– सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके अधिवक्ता व विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण इस प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्ष भुगत रहे हैं तभी से लम्बी अवधि से न्यायिक अभिरक्षा में है। उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण अपने परिवार में कमाने खाने वाले एक ही व्यक्ति हैं , उक्त तर्क देते हुए उन्होंने अभियुक्तगण के प्रति सजा के प्रश्न पर नरमी बरते जाने का निवेदन किया।

विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह Rarest of rare Case है अतः मुल्जिमान को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जावे, विकल्प में यह भी निवेदन किया कि अन्यथा आजीवन कारवास से दण्डित किया जावे।

43– उभय पक्षकारान के तर्क सुने पत्रावली का अवलोकन किया । यह सही है कि अभियुक्तगण वर्ष 2016 से इस प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहे हैं तब से लेकर आज तक न्यायिक अभिरक्षा में है। इनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। जहां तक विशिष्ट लोक अभियोजक के इस तर्क का प्रश्न कि यह Rarest of rare Case है इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि समिधा की हत्या जिस प्रकार से की गई है वह Rarest of rare case की श्रेणी में नहीं आता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण ने आपराधिक षड़यंत्र रचते हुए समिधा की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कारित की है तथा उसके जेवरात लूटें है तथा समिधा की हत्या से उसके दोनों बच्चे एक लड़का व एक लड़की अपनी मां के मातृत्व से वंचित रहे हैं । अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अतः न्यायालय अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित समझता है।

–दण्डादेश –

44– अतः अभियुक्त **राकेश कुमार पुत्र** ओमप्रकाश **निवासी –33** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली को **धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप की दोषसिद्धि में **आजीवन कारावास से व एक लाख रूप्ये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त **दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारवास** और भुगतेगा ।

अभियुक्त राकेश कुमार को **धारा–397 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **सात वर्ष के साधारण कारवास** से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त राकेश कुमार को **धारा–449 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **दस वर्ष के साधारण कारावास से एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त **एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास** और भुगतेगा ।

अभियुक्त **राकेश कुमार** की उक्त् मूल सजायें साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त राकेश कुमार द्वारा पूर्व में भोगी गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि मूल सजा में से नियमानुसार धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत समायोजित की जाये। तद्नुसार सजा वारंट बनाया जाकर अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु अधीक्षक, केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया जाये।

45– अभियुक्त महावीर प्रसाद पुत्र अर्जुनराम **निवासी –36** एलएनपी पुलिस थाना–घमूड़वाली को **धारा–302 सपठित धारा–120 बी भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में **आजीवन कारावास व एक लाख रूप्ये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त **दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास** और भुगतेगा ।

अभियुक्त **महावीर प्रसाद** को धारा–498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त **महावीर प्रसाद** द्वारा पूर्व में भोगी गई पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि मूल सजा में से नियमानुसार धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत समायोजित की जाये। तद्नुसार सजा वारंट बनाया जाकर अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु अधीक्षक, केंद्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर को प्रेषित किया जाये।

46– प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत एक सोने की चैन व एक जोड़ी टॉप्स तथा 70,000/–रूपये अपील नही होने की दशा में बाद गुजरने मियाद अपील प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर सुपुर्दगीदार को नियमानुसार लौटाया जाये तथा जब्तशुदा वजह सबूत खून आलूदा फर्श के ईंट का टुकड़ा व सादा फर्श का ईंट का टुकड़ा, खून आलूदा दो बैडशीट व चुन्नी, एक कुल्हाड़ी, एक जिंस पैंट, एक शर्ट, एक हवाई चप्पल की जोड़ी आदि बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किए जाये। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त वजह सबूत का निस्तारण किया जाये।

47– निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जावे।

(अजय कुमार भोजक)
(अतिरिक्त कार्यभार)

48– निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक–01.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार भोजक)
(अतिरिक्त कार्यभार)

JYOTI KALRA
Steno Gr. I
"Authenticate document"
Digitally signed by JYOTI KALRA
Date: 2026.04.06 11:10:59 +0100